>

Title: Situation arising out of discrimination with the employees of Rural Post Offices in the country.

श्री प्रेमदास (इटावा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं देश के डाक विभाग के संबंध में बोलना चाहता हूं। आज से बीस साल पहले डाक विभाग का बहुत महत्व था। यह खुशी की बात है कि विज्ञान आगे बढ़ा, मोबाइल आये, कंप्यूटर आया और नैट आया। लेकिन आज डाकखानों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखाने बंदी के कगार पर पहुंच गये हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारी संविदा पर नौकरी करते हैं, उन्हें आठ हजार या नौ हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के डाक कर्मचारियों का वेतन केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर होना चाहिए। इनमें डाक सेवक, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर वहां काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब सांसद लोग जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो वे धरना और हड़ताल करते हैं। जंतर मंतर पर भी आते हैं, उनका संगठन बहुत बड़ा है। हमेशा वे यही मांग करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता है। उनकी यही मांग रहती है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर उन्हें वेतन दिया जाए। उनको केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर माना जाए। डाकखानों की स्थिति अगर इसी तरह से चलती रही तो अगले दस-पंद्रह साल में सभी ग्रामीण डाकखाने बंद हो जाएंगे। मेरी मांग है कि डाकखानों को अच्छा बनाने के लिए सरकार विशेष ध्यान दे। पोस्ट मास्टरों और पोस्टमैनों की मांग जायज है। उनकी मांगों को सरकार को मानना चाहिए।